फर्द अहकाम

भागीरथ बनाम आम [illegible]

ग्य ACM (AJ) Shahpura - Jaipur

90/2023 दावा - 53,188

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
30/8/24 लगातार	मुताबिक तुरदात रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु नियत किया। सुना गया। पत्रावली व तुरदात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत तुरदात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। फैसला पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर आदतउपील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर ाहपुरा (जिला-जयपुर) राज	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :– 90/2023

शीर्षक

1. भागीरथ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासी ए 51, हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर। –वादी

बनाम

1. उगना देवी पुत्री धोलाराम
2. कल्पना पुत्री धोलाराम
3. जड़ाव देवी पुत्री धोलाराम
4. नीतू देवी पुत्री धोलाराम
5. ममता देवी पुत्री धोलाराम
6. प्रदीप पुत्र धोलाराम
7. रंगलाल पुत्र धोलाराम
8. ग्यारसी पत्नी रामचंन्द्र
9. गोकुल पुत्र रामचन्द्र
10. भगवान सहाय पुत्र रामचंन्द्र
11. प्रभू पुत्र कालू
12. मुरली पुत्र कालू
13. रामप्यारी पत्नी माना

समस्त जाति गुर्जर निवासी टोडी तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।

14. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) – प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 30/8/2024

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू–अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 143 के खसरा नम्बर 5651 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, बारानी 1 सम्पूर्ण में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 उगना का हिस्सा 1/12 प्रतिवादी संख्या 2 कल्पना का हिस्सा 1/12,

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रतिवादी संख्या 3 जड़ाव देवी का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 4 नीतू देवी का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 5 ममता का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 6 प्रदीप का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 7 रंगलाल का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 8 ग्यारसी का हिस्सा 1/16 प्रतिवादी संख्या 9 गोकुल का हिस्सा 1/16, प्रतिवादी संख्या 10 भगवानसहाय का हिस्सा 1/16, प्रतिवादी संख्या 11 प्रभू का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी संख्या 12 मुरली का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी संख्या 13 रामप्यारी का हिस्सा 1/4, के अनुसार रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 मौके पर मनबंट एवं आपसी बाहमी बंटवारा के अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यह कि मद नम्बर 1 में वर्णित विवादित भूमि हिस्सा 1/4 को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र पूर्व काबिज रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार मालीराम पुत्र कल्याण, जाति गुर्जर ग्राम टोडी से उनके सम्पूर्ण 1/4 हिस्से को सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर कय किया गया था जिसके आधार पर जरिये नामान्तकरण 298 दिनांक 09.07.2013 द्वारा राजस्व रेकोड मे अंकन किया गया तथा जिस पर अपने हिस्से अनुसार कय करने के उक्त दिनांक से वादी काबिज होकर आज तक निरन्तर उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। 4. यह कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से मनबंट के आधार पर अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के तालूकात कुछ असामाजिक तत्वों व भू-माफिया किस्म के लोगो से हैं तथा वादी वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित उक्त भूमि के अविभाजित हिस्सा 1/4 पर मनबंट के आधार पर काबिज काश्त हैं, व निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। लेकिन प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल कर विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा कर बैचान करने पर आमादा हैं। जबकि आज तक भूमि का विधिक विभाजन नही हुआ हैं। जिन्हें कानूनन बिना तकासमा कराये भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करने व बैचान करने का वैधानिक अधिकार नही हैं, तथा कानूनन अविभाजित भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का हर एक इंच पर हक व हिस्सा व अधिकार माना जाता है, लेकिन प्रतिवादीगण वादी के कब्जे कश्त की भूमि से ताकत व संख्या बल के जौर पर उनके कब्जे से बेदखल कर भूमि को हडपना चाहते है तथा वादी की भूमि को ओने पोने दामो मे खरीदना चाहते हैं। जिसका उन्हें भूमि के विधिक विभाजन के बिना कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही हैं। यह कि दिनांक 29/07/2023 को वादी अपने हिस्से की भूमि पर फसल को देखने गया तब प्रतिवादी संख्या 7 रंगलाल के साथ कुछ अजनबी लोगो के साथ विवादित भूमि पर आये और मुझे मेरे हिस्से की भूमि को बिना विभाजन करवाये बैचान करने की धमकी दी व आयंदा इस पर काश्त करने से मना कर दिया जब वादी ने इसका विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

हम तो उक्त भूमि को भू–माफियाओं को बेचान करने व खुर्द बुर्द कर तुझे बेदखल करके रहेंगे, तथा तू तो अकेला है और हमारे कई अधिकारियों व भू माफियाओं से तालुकत है तथा प्रतिवादीगण अपनी ताकत के बल पर शामलातखातेदारान की अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर मनचाहे तरीके से कब्जा करने व खुर्द बुर्द करने बेचान व बेदखल करने पर आमादा है तथा वादी को बिना विधिक विभाजन करवाये भूमि पर काश्त व उपयोग उपभोग करने में जबरन बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा अब वादी को संयुक्त खाते के रूप में काश्त करना असंभव हो गया है। इसलिए वादी को अपने हिस्से व कब्जे की सुरक्षा हेतु यह दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

अन्त मे निवेदन किया कि मद संख्या 1 में ग्राम टोडी पटवार हल्का छडासाला, भू–अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 143 के खसरा नम्बर 5651 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, सम्पूर्ण मे जमाबंदी में दर्ज वादी का 1/4 हिस्सा का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर वादी का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश फरमाया जावे एवं बाद विभाजन प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे भूमि वादग्रस्त पर वादी के हिस्से कब्जे काश्त व खाते की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त व उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, न करे न ही बेचान हस्तान्तरण करें, कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें, बाधा न स्वयं करे न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट व परिवारजन आदि से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई एवं प्रकरण मे दिनांक 25.07.2024 को प्राथमिक डिकी जारी की गई व तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/4092 दिनांक 30.08.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा अंतिम डिकी किया जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से प्रकरण को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 143 के खसरा नम्बर 5651 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है --

1. उगना पुत्री धोलाराम हि0 39/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, कल्पना पुत्री धोलाराम हि0 39/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, जड़ाव देवी पत्नी धोलाराम हि0 40/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, नीतू पुत्री धोलाराम हि0 39/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, प्रदीप पुत्र धोलाराम हि0 40/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, ममता पुत्री धोलाराम हि0 39/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रंगलाल पुत्र धोलाराम हि0 39/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, ग्यारसी पत्नी रामचन्द्र हि0 275/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, गोकुल पुत्र रामचन्द्र हि0 275/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, भगवान सहाय पुत्र रामचन्द्र हि0 275/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, प्रभू पुत्र कालू हि0 550/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मुरली पुत्र कालू हि0 550/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, माना पुत्र भूरा हि0 1/3 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5651/1 रकबा 0.3300 है0 किता 1 कुल रकबा 0.3300 है0 भूमि रहेगी।
2. भागीरथ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया हि0 सम्पूर्ण जाति जाट नि0 ए 51 हनुमाननगर खातीपुरा जयपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5651/2 रकबा 0.1100 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर, ग्रामीण

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 90 / 2023

शीर्षक

1. भागीरथ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासी ए 51, हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर। –वादी

बनाम

1. उगना देवी पुत्री धोलाराम
2. कल्पना पुत्री धोलाराम
3. जड़ाव देवी पुत्री धोलाराम
4. नीतू देवी पुत्री धोलाराम
5. ममता देवी पुत्री धोलाराम
6. प्रदीप पुत्र धोलाराम
7. रंगलाल पुत्र धोलाराम
8. ग्यारसी पत्नी रामचंन्द्र
9. गोकुल पुत्र रामचंन्द्र
10. भगवान सहाय पुत्र रामचंन्द्र
11. प्रभू पुत्र कालू
12. मुरली पुत्र कालू
13. रामप्यारी पत्नी माना

समस्त जाति गुर्जर निवासी टोडी तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।

14. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) – प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 30/8/2024

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 143 के खसरा नम्बर 5651 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू–अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

1. उगना पुत्री धोलाराम हि0 39/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, कल्पना पुत्री धोलाराम हि0 39/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, जड़ाव देवी पत्नी धोलाराम हि0 40/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, नौतु पुत्री धोलाराम हि0 39/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, प्रदीप पुत्र धोलाराम हि0 40/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, ममता पुत्री धोलाराम हि0 39/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रंगलाल पुत्र धोलाराम हि0 39/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, प्यारसी पत्नी रामचन्द हि0 275/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, गोकुल पुत्र रामचन्द हि0 275/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, भगवान सहाय पुत्र रामचन्द हि0 275/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, प्रभु पुत्र कालु हि0 550/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मुरली पुत्र कालु हि0 550/3300 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, माना पुत्र भूरा हि0 1/3 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5651/1 रकबा 0.3300 है0 किता 1 कुल रकबा 0.3300 है0 भूमि रहेगी।

2. भागीरथ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया हि0 सम्पूर्ण जाति जाट नि0 ए 51 हनुमाननगर खातीपुरा जयपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5651/2 रकबा 0.1100 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा मुर्तजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 30/8/24........ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर, ग्रामीण

द के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	